



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-16062026-273491  
CG-MH-E-16062026-273491

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3009]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2026/ज्येष्ठ 26, 1948

No. 3009]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2026/JYAISTHA 26, 1948

रेल मंत्रालय  
[पश्चिम रेलवे]

अधिसूचना

मुंबई, 16 जून, 2026

का.आ. 3130(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008, की धारा 2 के खंड 7 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित उपखंड स्तम्भ (4) में उल्लिखित जिलों के सम्बन्ध में गुजरात राज्य में विशेष रेल परियोजना के संदर्भ में "पश्चिमी रेलवे के लेवल क्रॉसिंग संख्या 12, 18, 38 (वडोदरा-गोधरा) खंड और एलसी संख्या 17सी (गोधरा-रतलाम) खंड के स्थान पर 04 रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण" के लिए भूमि अधिग्रहण के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्रम सं.	सक्षम अधिकारी	उपखंड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	विशिष्ट भूमि अधिग्रहण अधिकारी, इकाई-1	सावली	वडोदरा
2	अधिक विशिष्ट भूमि अधिग्रहण अधिकारी	कलोल	पंचमहल
3	अधिक विशिष्ट भूमि अधिग्रहण अधिकारी	मोरवा हडफ	पंचमहल

[फा.सं ई-730161-02]

कन्हैया झा, मुख्य इंजीनियर (निर्माण)-III

**MINISTRY OF RAILWAYS**  
**(Western Railway)**  
**NOTIFICATION**

Mumbai, the 16th June, 2026

**S.O. 3130(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby authorizes the officers nominated in column (2) of the Table below as “Competent Authority” to perform the function as such authority under the said act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway Project of “Construction of 04 Nos. of Road Over Bridges (ROBs) in lieu of Level Crossings No. 12, 18, 38 (Vadodara-Godhra)section and LC No.17C (Godhra-Ratlam)section of Western Railway” in the State of Gujarat relating to Sub-Divisions mentioned in Column (3) Districts mentioned in Column (4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

**TABLE**

Sl. No.	Competent Authority	Sub Division	District
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Special Land Acquisition Officer, Unit-I	Savli	Vadodara
2	Additional Special Land Acquisition Officer	Kalol	Panchmahal
3	Additional Special Land Acquisition Officer	Morwa Hadaf	Panchmahal

[F. No. E-730161-02]

KANHAIYA JHA, Chief Engineer (Construction)-III